MINISTRY OF DEFENCE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION D(Estt/NG)/Sena Bhawan

Subject: Notification of Recruitment Rule for the posts of Industrial Posts in Ordnance Factories.

Find enclosed herewith copy of the English & Hindi version of the Notified Recruitment Rules/ Gazette Notification No. SRO-104 dated 30.08.2018 for the subject posts.

2. In terms of the instructions contained in DoPT OM No. AB-14017/61/2008-Estt(RR) dated 27.02.2015, the notified recruitment Rules for the post(s) mentioned as above are required to be uploaded on Department website (OFB).

Encl: As above

(Sanjay Rawat)

Under Secretary to the Govt. of India

Shri H.K.Paikra,

Director/IR,

Ordnance Factory Board 10-A, S.K.Bose Road

Kolkata-700 001

MOD ID No. 41(8)/2018-D(Estt/NG) dated 29.11.2018



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 27

नई दिल्ली, नवम्बर 4—नवम्बर 10, 2018, शनिवार/कार्तिक 13—कार्तिक 19, 1940

No. 27] NEW DELHI, NOVEMBER 4—NOVEMBER 10, 2018, SATURDAY/ KARTIKA 13— KARTIKA 19, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

का.नि.आ.104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्डनेंस फैक्टरी समूह 'ग' और समूह 'घ' औद्योगिक पद भर्ती नियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्डनेंस फैक्टरी समूह 'ग' और समूह 'घ' औद्योगिक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आर्डनेंस फैक्टरी समूह 'ग' और समूह 'घ' औद्योगिक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1994 में,-
- (1) पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान, नियम शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित नियम शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् : —

"पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।";

- (2) आर्डनेंस फैक्टरी समूह 'ग' और समूह 'घ' औद्योगिक पद भर्ती नियम, 1994 की अनुसूची में, —
- (क) मास्टर शिल्पकार के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 में. —

6339 GI/2018

(i) स्तंभ (4) में, शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर	
(4)	
स्तर-6	
(35400-112400 रु,)";	

- (ii) स्तंभ (12) में, "वेतनमान, 1320-30-1560-ईबी-40-2040 रु." शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रु.)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे। "ग्रेड 1320-30-1560-ईबी-40-2040 रु.", शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रु.)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे। "ग्रेड 1200-1800" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- (ख) अति कुशल श्रेणी । कर्मकार के पद से सबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,
 - (i) स्तंभ (4) में, संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : —

- (ii) स्तंभ (12) में, "वेतनमान-1200-1800 रु." शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- (ग) अति कुशल श्रेणी ॥ कर्मकार पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,
 - (i) स्तंभ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् : —

- (ii) स्तंभ (12) में, "वेतनमान 950-20-1150-ईबी-25-1500 रु.", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु.)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (घ) कुशल कर्मकार पद सबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,
 - (i) स्तंभ (4) में, इससे सबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात : —

" स्तर-2 (19900-63200 रु.)";

- (ii) स्तंभ (12) में, "वेतनमान 800-15-1010-ईबी-20-1150", शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर1 (18000-56900 रु.)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ङ) अर्द्ध-कुशल कर्मकार के पद से संबंधित, क्रम संख्या 5 के सामने,
 - (i) स्तंभ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : —

" स्तर-1 (18000-56900 रु.)";

- (ii) स्तंभ (12) में, "वेतनमान 750-12-870-ईबी-14-940", शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रु.)", शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (च) अकुशल कर्मकार के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने,
 - (i) स्तंभ (4) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी : —

" स्तर-1 (18000-56900 रु.)";

[फा.सं. 41(4)/2018-रक्षा (स्था./एन.जी)]

संजय रावत, अवर सचिव

पाद टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, दिनांक 12 नवंबर, 1994 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.185, दिनांक 1 नवंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 34, दिनांक 28 जनवरी 1997 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th August, 2018

- **S.R.O.104.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ordnance Factories Group C and Group D Industrial Posts Recruitment Rules, 1994 namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ordnance Factories Group C and Group D Industrial Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ordnance Factories Group C and Group D Industrial Posts Recruitment Rules, 1994, —
- (1) for rule under heading "Number, classification and scale of pay" and the entries relating thereto, the following rule heading and entries shall be substituted, namely:—
 - "Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule.";
- (2) in the Schedule to the Ordnance Factories Group C and Group D Industrial Posts Recruitment Rules, 1994, —
- (a) against serial number 1, relating to the post of Master Craftman,
 - (i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

"Level in Pay Matrix
(4)
Level- 6
(Rs. 35400-112400)":

(ii) in column (12), for the words, letters and figures "pay scale of Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040", the words, letters, figures and brackets "level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted. For the words, letters and figures "the grade of Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040", the words, letters, figures and brackets "level 5".

(Rs.29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted. For the words, letters and figures "grade of 1200-1800", the words, letters, figures and brackets "level 4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix" shall be substituted;

- (b) against serial number 2, relating to the post of Highly skilled grade I workman,
 - (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: —

"Level- 5 (Rs. 29200-92300)";

- (ii) in column (12), for the words, letters and figures "pay scale of Rs. 1200-1800", the words, figures and brackets "level 4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix" shall be substituted;
- (c) against serial number 3, relating to the post of Highly skilled grade II workman,-
 - (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: —

"Level- 4 (Rs. 25500-81100)";

- (ii) in column (12), for the words, figures and letters "pay scale of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500", the words, figures, letters and brackets "level 2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix" shall be substituted;
- (d) against serial number 4, relating to the post of Skilled workman,-
 - (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: —

"Level- 2 (Rs. 19900-63200)";

- (ii) in column (12), for the words, letters and figures "pay scale of Rs. 800-15-1010-EB-20-1150", the words, figures, letters and brackets "level 1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix" shall be substituted;
- (e) against serial number 5, relating to the post of Semi-skilled workman,
 - (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: —

"Level- 1 (Rs. 18000-56900)";

- (ii) in column (12), for the words, letters and figures "the pay scale of Rs. 750-12-870-EB-14-940", the words, figures, letters and brackets "level 1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix" shall be substituted;
- (f) against serial number 6, relating to the post of Unskilled workman,-
 - (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:

"Level- 1 (Rs. 18000-56900)";

[F.No. 41(4)/2018-D(Estt./NG)]

SANJAY RAWAT, Under Secy.

Foot note.—The Principal rules were published vide notification number S.R.O. 185, dated the 1st November, 1994 in the Gazette of India, Part-II section 4 dated the 12th November, 1994 and was subsequently amended vide notification number S.R.O. 34, dated the 28th January, 1997.